रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222168
CG-DL-E-30092020-222168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
No. 278] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 202

मामला संख्याः SSR-21/2020

विषय: चीन जन. गण. से "मिथाइल एसिटोएसिटेट" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/40/2020- डीजीटीआर.—मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद से ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने, समय- समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद से ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय- समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद से ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मिथाइल एसिटोएसिटेट'' (जिसे यहां इसके बाद से "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

1. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

2. चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच 2015 में शुरु की गई थी । प्राधिकारी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/7/2014- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिथाइल एसिटोएसिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 22/2016- सीमाशुल्क (ए डी डी) के तहत लगाया गया था ।

3. आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका से यह कहते हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की मांग नहीं की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से पाटन और क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)</u>

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

" *वर्तमान* याचिका में विचाराधीन उत्पाद, *"मिथाइल एसिटोएसिटेट"* है (*जिसे एम ए ए/ एम ए ए ई/ ए ए एम ई के नाम से भी जाना जाता है*), जो

एक डाइक्टीन आधारित इस्टर अथवा एसिटो- एसिटेट है। एम ए ए का रासायनिक फार्मूला C5H803 है और 99% की शुद्धता पर यह रंगहीन दिखाई देने के साथ ही एक स्पष्ट तरल है।

"मिथाइल एसिटोएसिटेट" को उप शीर्ष 29183040 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है लेकिन आयात संबंधी आंकड़ो का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य कोडों जैसे 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090, और 29189900 के तहत आयात किया जा रहा है। अत: सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और यह जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।"

5. यह तर्क दिया गया है कि इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं। वर्तमान जांच, चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनो ही उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं । दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

7. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में यह पाया था कि आयात किए जा रहे उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पाद समान वस्तु हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवेदक द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" मानी जा रही है।

घ. **घरेलू उद्योग और स्थिति**

8. यह आवेदन मैसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और यह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं।

9. रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। उपरोक्त को देखते हुए और विधिवत जांच करने के बाद प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग माना है और इस नियमावली के नियम 5 (3) के तहत स्थिति के मापदंड को पूरा करता है ।

ङ. **पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना**

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक असहयोगी बाजार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा- 7 का अनुसरण किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा- 7 के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधान के तहत अर्थात उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत पर विचार करके किया गया है। आवेदक ने चीन जन. गण. सहित एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रुप में स्विटजरलैंड का प्रस्ताव किया है।

11. आवेदक ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर भी सामान्य मूल्य प्रदान किया है जिसका निर्धारण भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करके बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों को शामिल करके किया गया है। जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन से सामान्य मूल्य के लिए दावा उपयुक्त पाया गया है।

च. **निर्यात कीमत**

12. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदा वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का परिकलन किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभारों और कमीशन के संबंध में कीमत समायोजन किए गए हैं । आवेदक द्वारा निवल निर्यात कीमतों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य का दावा किया गया है।

छ. **पाटन मार्जिन**

13. अधिनियम की धारा 9 क (1) (क) के अनुसार, उपरोक्तानुसार निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करके पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत से अधिक है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से भारतीय बाजार में निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

ज. **पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना यह दर्शाती है कि पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर आयातों की मात्रा में वृद्धि जारी रही । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में पाटन रोधी शुल्क लागू किए जाने से सुधार आया है। आवेदक ने पाटित आयातों, महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन, सरप्लस क्षमताओं की मौजूदगी, कीमत संबंधी कटौती और पाटनरोधी शुल्को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और निरंतर क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को स्थापित करने वाले कारकों के चलते घरेलू उद्योग के संवेदनशील होने के संबंध में सूचना प्रदान की है ।

झ. **निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत**

15. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग के स्वयं संतुष्ट होने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों के जारी रहने की जरुरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरु करते है।

ञ. **संबद्ध देश**

16. इस जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है ।

ट. **जांच की अवधि (पी ओ आई)**

17. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक (12 माह) की है और क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रेल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रेल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रेल, 2018 – 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल होंगी।

ठ. **प्रक्रिया**

18. इस समीक्षा जांच में दिनांक 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं. 14/07/2016- डीजीएडी के तहत प्रकाशित अन्तिम जांच परिणामों के सभी पहलु शामिल होंगे, जिसमें चीन जन. गण. से ऑफ्लोक्सिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

19. उपरोक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधानों को इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के बाद लागू किया जाएगा ।

ड. **सूचना प्रस्तुत करना**

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्राचार ई-मेल पतों अर्थात adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, rashmi.icoas@nic.in तथा dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए ।

21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के ज़रिए उनकी संबंधित सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं विहित ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए नियमित रुप से इसे देख सकते हैं।

ढ. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6 (4) के तहत, सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों अर्थात adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, rashmi.icoas@nic.in तथा dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संबंध में सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने के लिए नोटिस को, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसे भेजे जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनियक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और /अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को ऐसी सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैट्रानिक माध्यम में सार्वजनिक फाइल रखने की विधि तैयार की जा रही है।

थ. <u>असहयोग</u>

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

Case No. SSR-21/2020

Subject: Initiation of Sunset review investigation concerning imports of "Methyl Acetoacetate" from China PR.

F. No. 7/40/2020-DGTR.—M/s Laxmi Organics Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application seeking initiation of sunset review investigation concerning imports of "Methyl Acetoacetate" (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'product under consideration') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as 'subject country') before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the "Rules").

1. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry, and have requested for review and continuation of the Anti-Dumping duty (ADD) imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. <u>Background</u>

2. The original anti-dumping investigation was initiated in 2015 concerning imports of subject goods from China PR and USA. The Authority recommended imposition of anti-dumping duties concerning imports of Methyl Acetoacetate from China PR and USA vide Notification No 14/07/2014-DGAD

dated 1st April, 2016 which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated 31st May, 2016.

3. The Applicant has not sought extension of anti-dumping duties on imports of subject goods from USA stating that as there is no evidence of likelihood of dumping and injury from USA.

B. Product under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is Methyl Acetoacetate. The product under consideration defined in the original investigation is as follows:

> *".The product under consideration in the present petition is Methyl Acetoacetate. Methyl Acetoacetate (also known as MAA/MAAE/AAME) is a Diketene based Ester or aceto-acetate. The chemical formula of MAA is C5H8O3 and at 99% purity, it is a clear liquid with a colourless appearance. Methyl Acetoacetate is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the subheading 29183040, as 'Methyl Acetoacetate". Though the product under consideration has dedicated customs classification under the Customs Tariff Act, on analyzing the import data, it has been observed that the product under consideration is being imported under various other codes as well such as 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090 and 29189900. Therefore, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation."*

5. It has been contended that no significant developments have taken place over the period. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

C. Like Article

6. The Applicant has claimed that there is no significant difference in product produced by the applicant and exported from the subject country. Both products are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable.

7. The Designated Authority, in the original investigation held that the product being imported and the product being manufactured by the domestic industry are like article. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic Industry and Standing

8. The Application has been filed by M/s Laxmi Organics Industries Limited and is the sole producer of product under consideration in India. The Applicant has certified that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India.

9. As per the evidence on record, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

Normal Value for China PR

10. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The normal value has been determined under the provision stipulated under Para 7 of the Annexure 1 of the Rules i.e. considering the price from market economy third country to other countries, including India. The Applicant has proposed Switzerland as a market economy third country for China PR.

11. The Applicant has also provided normal value on the basis of price actually paid or payable in India for the like product which has been determined by considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The claim for the normal value is found appropriate for the purpose of initiation.

F. Export Price

12. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, and commission. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Applicant.

G. Dumping Margin

13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

14. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. Information provided by the applicant shows that the volume of imports continues to increase at dumped and injurious price. It is also noted that the Performance of the domestic industry has improved in view of Anti-dumping duty in place. The Applicant has provided information with regard to continued increase in dumped imports, significant dumping margin, existing surplus capacities, price undercutting and vulnerability of the domestic industry as factors establishing likelihood of continuation or recurrence of dumping and recurrence of injury to the domestic industry should anti-dumping duty is allowed to lapse. The information provided by the applicant, prima facie, shows continuation of dumping of subject goods from subject country, and likelihood of injury to domestic industry in case of cessation of the Anti-dumping duty.

I. Initiation of Sunset Review Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the

likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing Anti-dumping duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

J. Subject Country

16. The subject country for this investigation is China PR.

K. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 Months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and the POI.

L. Procedure

18. The review investigation will cover all aspects of the Final Findings published vide Notification No. 14/07/2014-DGAD dated 1st April, 2016 recommending extension of Anti-Dumping Duty on imports of Ofloxacin from China PR. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

19. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

M. Submission of Information

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, rashmi.icoas@nic.in and dd13-dgtr@gov.in

21. The known producers/exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

N. Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in,

rashmi.icoas@nic.in and dd13-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

O. Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information

public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

P. Inspection of Public File

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Q. Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.30 22:22:36 +05'30'